

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0- 137A/2017-18

रतन लाल टुडू बनाम सामु हाँसदा

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति


11.11.2017

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 780 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 137A/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता रतन लाल टुडू पिता-स्व0 चमरु टुडू, ग्राम-गमदेसाई, थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च एवं उच्च शिक्षा हेतु क्रेता सामु हाँसदा, पिता राताई हाँसदा, ग्राम-सोनापोसी, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। विक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

<u>मौजा</u>	<u>थाना न0</u>	<u>खाता न0</u>	<u>खेसरा न0</u>	<u>रकबा</u>
गमदेसाई	154	43	318	12.6डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता स्वयं जमावंदी रैयत है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक के हिस्से में 2.87 एकड़ जमीन है, जिसमें से 12.6 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.74.40 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जाति 'संथाल', जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 12.6डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
सरायकेला।